15

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या 175 /भू अ० **दिनांक :** 01/02/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–धनवरिया, थाना–सारठ, थाना सं०–26, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **सिकिटिया (बवनगामा–पथरौल पथ पर) से शामलपुर–बोचबांध–डुबा–बनवरिया–जियाखारा–मनीगढ़ी (सारठ–देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–धनवरिया, थाना–सारठ, थाना सं०–26, अंचल– सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.69** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	271	रैयती	बाड़ी–2	0.03	श्यामसुन्दर राउत वो गोपाल राउत वो वालो राउत पे० नफर राउत अंश समान वो हुरो राउत वो दुखी राउत(ज०रै०)	बसट टॉड नं० 23	पहाड़ पुर नं०22	अर्जित रकवा का अंश	पहाड़पुर नं०22 एवं अर्जित रकवा का अंश
2	6	171	रैयती	मकान में सहन	0.03	अनिया देवी पति शंकर मांझी सा० देह।				
3	6	165	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
4	7	272	रैयती	बाड़ी–2	0.04	जशुल कुमारी घटवालीन जौजे अनंतलाल सिंह वो साहेब सिंह वलु वंशराज सिंह वो बलराम सिंह वो विशु सिंह(ज०रै०)				
5	10	245	रैयती	धानी–3	0.04	जागेश्वर सिंह वो जैलाल सिंह पे० दिकल सिंह अंश समान सा० देह।				
6	10	248	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव।				
7	10	243	रैयती	बाड़ी–2	0.08	तथैव।				
8	10	242	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तथैव।				
9	10	240	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव।				
10	10	184	रैयती	बाड़ी–1	0.06	तथैव।				
11	10	183	रैयती	मकान में सहन	0.01	तथैव।				
12	10	162	रैयती	बाड़ी–1	0.04	तथैव।				
13	10	160	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
14	17	267	रैयती	बाड़ी–2	0.02	टोपिया राउताईन वो झलकी राउताईन पे० बहादुर राउत अंश समान सा० देह वो वनवारी राउत (ज०रै०)				
15	17	262	रैयती	गड़िया	0.07	तथैव।				
16	17	259	रैयती	बाड़ी–1	0.05	तथैव।				
17	17	258	रैयती	बाड़ी–1	0.04	टोपिया राउताईन वो झलकी राउताईन पे० बहापुर राउत अंश समान सा० देह।				
18	17	254	रैयती	मकान में सहन	0.03	तथैव।				

19	17	256	रैयती	मकान में सहन	0.04	बनवारी राउत (ज०रै०)				
20	17	253	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव।				
21	19	164	रैयती	बाड़ी–2	0.01	महावीर मांझी वो शीरू मांझी पे० अनुमांझी ब्रैयत वो अठु मांझी वल्द अरबु मांझी (ज०रै०)				
22	19	163	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव				
23	21	219	रैयती	बाड़ी–1	0.03	मोही मांझी वल्द शंकर मांझी (ज०रै०)				
24	21	269	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
25	25	270	रैयती	बाड़ी–2	0.05	रावण कुमारी जौजे चुड़ालाल सिंह (ज०रै०)				
26	35	182	रैयती	मकान में सहन	0.01	जानकी देव्या पति स्व० सुकर सिंह वो रानी देवी माता फोतो देवी वो बदरू सिंह वो पुरन सिंह माता जवाकुशुम देवी वो जगदीश सिंह पे० हुरो सिंह अंश समान सा०देह।				
27	48	39.	रैयती	कामत धानी 1	0.40	मृणाल सिंह वो सुब्रत कु० सिंह वो बसन्त कु० सिंह वो जयन्त कु० सिंह पे०मदन मोहन सिंह सा० पथरौल अंश समान।				
28	48	44	रैयती	कामत आम बाग	0.18	तथैव।				
29	48	218	रैयती	कामत बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
30	48	244	रैयती	कामत बाड़ी–2	0.10	तथैव।				
31		252	रैयती		0.01	मुस्तवाहा				
32		274	रैयती		0.04	मुस्तवाहा				
				कुल रकबा–	**1.69**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय / विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

18/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
18.1.20

18-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

21/1/2020
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 175 / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

18/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
18.1.20

28-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

20/1/2020
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।